सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 12.07.2025

छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 पैंडल मंगलसूत्र सोने का, 01 काला धागा, 02 मोती सोने के, 01 चैन पीतल की टूटी हुई, 8,100/- रुपये नकद, 01 पल्सर मोटर साइकिल की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम वांछित/वारंटी एवं छिनैती/लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 11/12.07.2025 की रात्रि को एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना ऊसराहार पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 05.07.2025 को कौआ तिराहा कस्बा ऊसराहार में जो छिनैती हुई थी उससे संबंधित 02 व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर सवार पालन अड्डा सकरावा रोड तिराहे पर बने प्रतीक्षालय पर खड़े है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर **02 व्यक्तियों को पालन अड्डा सकरावा रोड तिराहे से गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो सुरजीत द्वारा बताया गया कि धनीराम मोटरसाइकिल को चला रहा था और मैं पीछे बैठा था मैने ही कौआ **तिराहे कस्बा ऊसराहार से एक महिला के गले से 01 पैंडल मंगलसूत्र व 01 काला धागा व 02 मोती (सोने के) छीने थे। उक्त घटना के संबंध में थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।** रुपयों के बारें मे पूछने पर बताया कि **दिनांक 21.03.2025 को थाना फ्रेण्डस कालोनी क्षेत्र में एक महिला से छिनैती की थी जिससे मिले माल को बेचने से 8100-/ रूपये मिले थे, ये वही रुपये हैं। उक्त घटना के संबंध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 79/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया था।** तथा उनके कब्जे से 02 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 पैंडल मंगलसूत्र सोने का, 01 काला धागा, 02 मोती सोने के, 01 चेन पीतल की टूटी हुई, 01 मोटर साइकिल बरामद की गयी।

बरामद उक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत एमवी एक्ट की धारा 207 में सीज किया गया।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी के संबंध में थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 304(2) बीएनएस व धारा 317(2) बीएऩएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सुरजीत साक्य पुत्र यदुवीर निवासी ग्राम गोपालपुर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी **उम्र करीब 20 वर्ष**।
2. धनीराम पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम कौआ थाना ऊसराहार जनपद इटावा **उम्र करीब 19 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोगः

1. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 304(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त सुरजीत साक्य पुत्र यदुवीर व अभियुक्त धनीराम पुत्र लालबहादुर

1. मु0अ0सं0 79/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 पैंडल मंगलसूत्र सोने का।
2. 01 काला धागा।
3. 02 मोती सोने के ।
4. 01 चैन पीतल की टूटी हुई।
5. 02 तमंचा 315 बोर।
6. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
7. 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
8. 8,100/- रुपये नकद।
9. 01 पल्सरमोटरसाइकिल**, घटना में प्रयुक्त UP 84AK0831(धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)**

पुलिस टीमः-

प्रथम टीमः- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीयः- निरीक्षक श्री बलराम मिश्रा प्रभारी थाना ऊसराहार, उ0नि0 अनीश अहमद, उ0नि0 मंगल सिंह, मय टीम।